तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हु
..10	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प पचपदरा में पेश हुई। वादी ने अपने वाद पत्र में संक्षिप्त रूप से जाहिर किया की मौजा पचपदरा के खेत खसरा नं० 559 रकबा 14 बीघा, ख० नं० 885/555 रकबा 07 बीघा कुल रकबा 30 बीघा एवं ख० नं० 895/585 रकबा 26 बीघा मौजा पचपदरा की सरहद में स्थित है, ख० नं० 559 व ख० नं० 585/555 कुअ वादी व मेरे भाईयों की खातेदारी का है। इस आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजस्व अधिकारियों से मिल कर गलत तौर से ख० नं० 895/585 अपने नाम जरिये प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में बिना कब्जा होते हुए तरमीम करवा दी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 खेत ढाणी विस्तर में आबाद हो खेती कास्त कर दिया तो वादी को अत्यधिक नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति रोकड़ में नहीं होगा। अतः वादी ने वाद पत्र में अपने हक दिलाने हेतु निवेदन किया। वादी श्री नारायनराम पुत्र मानाराम व प्रतिवादीगण संख्या - 1 व 2	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	ने आपसी राजीनामा पेश कर सहमति जाहिर की प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी मे 20 दिन के भीतर उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु आपसी राजीनामा तय किया गया। अतः वादी का वाद आपसी राजीनामा होने से बाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर शामिल दफ्तर हो। आदेश न्याय आपके द्वार कैम्प पचपदरा मे सुनाया गया। (भागीरथ राम) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बालोतरा कैम्प......................

Scanned by CamScanner